रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937
No. 343] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/ MAGHA 19, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

का.आ. 398(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ शहर सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ग्रेटर बॉम्बे, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय वेंकटराव पाटिल, शहर एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बॉम्बे कर रहे हैं, को एतदद्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009- आई एस-IV (भाग-2)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY –I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

S.O. 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) & (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government herby notifies the court of the City Civil and Additional Sessions Judge Greater Bombay presided over by Shri Vijay Venkatarao Patil, City and Additional Sessions Judge Greater Bombay as a Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Schedule Offences.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Pt.2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

का.आ. 399(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ जम्मू एवं श्रीनगर स्थित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी कृत्यों का निवारण (टाडा/पोटा) के अंतर्गत अभिहित न्यायालयों को दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2165 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य था;

और जबकि, श्री यश पाल कोतवाल, जम्मू स्थित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी कृत्यों का निवारण (टाडा/पोटा) (तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के अंतर्गत अभिहित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिन्हें दिनांक 27 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3001 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानान्तरण हो गया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3001 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया है अथवा करने से लोप कर दिया गया है, जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री किशोर कुमार, (जिला न्यायाधीश), जम्मू स्थित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी कृत्यों का निवारण (टाडा/पोटा) (तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के अंतर्गत अभिहित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 17011/50/2009- आई एस-IV (भाग-2)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

S.O. 399(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had, vide notification number S. O. 2165 (E), dated 1st September, 2010, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1st September, 2010, notified the Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/ Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) at Jammu and Srinagar, as a Special Courts for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Jammu and Kashmir for the trial of Schedule Offences;

And whereas, Shri Yash Pal Kotwal, Presiding Officer, Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) (3rd Additional District and Sessions Judge) at Jammu who was appointed as Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 3001(E), dated 27th November, 2014, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 27th November, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act, and in supersession of the notification S.O. 3001(E), dated 27th November, 2014, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 27th November, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, hereby appoints Shri Kishore Kumar, (District Judge), Presiding Officer, Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) (3rd Additional District and Sessions Judge), at Jammu as Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Pt.2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

का.आ. 400(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, मणिपुर, पूर्वी इम्फाल को दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2149(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण मणिपुर राज्य था;

और जबकि, श्री पीएच सुरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर, पूर्वी इम्फाल, जिन्हें दिनांक 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1948(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानान्तरण हो गया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1948(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया है अथवा करने से लोप कर दिया गया है, मणिपुर उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री सलाम इमोचा सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर, पूर्वी इम्फाल को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009- आई एस-IV (भाग-2)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

S.O. 400(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had, vide notification number S. O. 2149 (E), dated 1st September, 2010, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1st September, 2010, notified the Court of District and Sessions Judge, Manipur, East Imphal as a Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Manipur for the trial of Schedule Offences;

And whereas, Shri Ph Surendra Singh, District and Sessions Judge, Manipur, East Imphal was appointed as Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 1948(E), dated 22nd August, 2012, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 22nd August, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act, and in supersession of the notification 1948(E), dated 22nd August, 2012, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 22nd August, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Manipur, hereby appoints Shri Salam Imocha Singh District and Sessions Judge, Manipur, East Imphal as Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Pt.2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.